SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY
Approved by UGC
Where Education is a Passion...
AN ISO 21001: 2018 ORGANIZATION
OFFICE OF THE REGISTRAR
DR. SYED ZAFAR HUSSAIN
P.G.D.C.A; M.B.A. Ph.D.
REGISTRAR
(ODL & OL)
Email: adr@subharti.org

Ref. No.: U-07/SVSU/2026/5151 Date: 16.07.2026

CIRCULAR

Subject: Withdrawal of previous Circular No. U-07/SVSU/2026/5010 dated 10.07.2026 and **re-implementation** of Hon'ble President's directives regarding Car Free Days.

As per the directions of the competent authority, the following order is hereby issued:

1. Withdrawal of Previous Instructions: The Letter issued by this office vide Reference No. U-07/SVSU/2026/5010 dated 10.07.2026 is hereby withdrawn with immediate effect. All instructions contained therein stand cancelled.

2. Re-implementation of Presidential Directives: Consequent to the above, the guidelines and directions issued by the Hon'ble President, MTV BRCT, recorded in the Minutes (कार्यवृत्त) vide No. MTVBRCT/2026/427 dated 21.05.2026, shall be revived and followed in letter and spirit, in toto, until further orders. A copy of the said Minutes is enclosed herewith for ready reference.

3. Special Provision for Inclement Weather: In view of the ongoing monsoon season and keeping the safety and convenience of our staff in mind, a slight relaxation is being provided:

However, personal cars can be used only during instances of excessively heavy rainfall. This exception is strictly limited to ensuring the safety during severe weather conditions and shall not be misused under any circumstances.

4. Strict Adherence to Car Free Days: All other provisions outlined in the Hon'ble President's Minutes (कार्यवृत्त) vide No. MTVBRCT/2026/427 dated 21.05.2026 (copy enclosed) regarding the observance of Car Free Days shall remain fully active and mandatory with immediate effect. All are expected to adhere to the schedule and modalities laid down therein without exception.

This order is issued with the approval of the competent authority and shall come into force with immediate effect for the strict compliance by all concerned. Any deviation from the above will be viewed seriously.

Registrar (O&O)

Memo No.: U-07/SVSU/2026/5151 Date: 16.07.2026

To: All Deans, Principals, Directors, Head of Departments, Unit Heads.

Enclosure: Copy of Minutes No. MTVBRCT/2026/427 dated 21.05.2026.-03 pages

Copy to:
1. The Hon'ble Vice Chancellor,
2. Chief Executive Officer
3. Executive Officer

Registrar (O&O)

MTV Buddhist Religious and Charitable Trust
(Formerly known as SUBHARTI K.K.B. CHARITABLE TRUST)
Tathagat Buddha Block, Subhartipuram, Delhi Roorkee Meerut By-Pass Road, Meerut -250005
Ph. 0121-2439043, 2439052, 3058031, 3058032; Telefax : 0121-2439067
e-mail: subharti@subharti.org, Website : www.subharti.org

Ref. No.: MTVBRCT/2026/427 Date: 21.05.2026

कार्यवृत्त

दिनांक 19 मई 2026 को सुभारती विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित विभिन्न आवासीय खंडों के निवासियों की संगोष्ठि हुई जिसमें डीज़ल, पैट्रोल एवं सी.एन.जी. की खपत कम करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई एवं तत्पश्चात यह संकल्प लिया गया कि सभी लोग अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करेंगे कि उनके स्तर से डीज़ल, पैट्रोल एवं सी.एन.जी. खपत कम से कम हो। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के चिकित्सक, वरिष्ठ कर्मचारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे समस्त कर्मचारी एवं विद्यार्थी प्रेरित हो सकें।

इस विषय पर आहूत की गई संगोष्ठि में विभिन्न प्रबुद्धजनों द्वारा चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय भी लिए गए हैं :

1. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी शैक्षिक/गैर–शैक्षिक कर्मचारी/अधिकारी /डॉक्टर/छात्र–छात्राएं आदि डीज़ल, पैट्रोल अथवा सी.एन.जी. से चलने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे।
2. घर से अपने विद्यालय/कार्य स्थल तक जाने के लिए पैदल जाएंगे।
3. अधिक से अधिक लोग साईकिल का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे।
4. हर प्रतिष्ठान के बाहर साईकिल स्टैण्ड बनाए जाएंगे जहां पर साईकिलों को सुरक्षित खड़ा किया जा सकेगा।
5. इस सम्बन्ध में यह सूच्य है कि बिजली की साईकिलें परिसर में विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापित हैं, उनका प्रयोग भी किया जा सकता है।
6. जो लोग साईकिल का प्रयोग करेंगे अथवा पैदल चलेंगे उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पुरुस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।
7. यह ध्यान में रखते हुए कि सुभारती विश्वविद्यालय परिसर अब बड़ा हो गया है, कहीं–कहीं तो आवासीय खंड से कार्यस्थल तक जाने में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यह सदैव संभव नहीं होगा कि निवासीगण पैदल जा सकें। इस हेतु बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रबन्ध किया गया है।
8. प्रत्येक आवासीय परिसर पर प्रातः 7:45 बजे से संस्था की बिजली से चलने वाली फेरी, कार, ई–रिक्शा उपस्थित रहेंगी जो निवासियों को उनके कार्यस्थल तक ले जाएंगी।
9. इसी प्रकार भोजन अवकाश के समय सभी विद्यालयों एवं प्रतिष्ठानों के बाहर बिजली से चलने वाले वाहन उपस्थित रहेंगे जिससे निवासीगण भोजन के लिए अपने घर तक जा सकें एवं तत्पश्चात वापिस आ सकेंगे। यह प्रशंसनीय होगा यदि सभी अधिकारी/डॉक्टर/कर्मचारी अपना दोपहर का भोजन अपने साथ लाएं।
10. संध्याकाल कार्य समाप्त होने के समय पर भी बिजली से चलने वाले वाहन सभी प्रतिष्ठानों के बाहर उपस्थित रहेंगे ताकि परिसर निवासियों को शाम को घर ले जाया जा सके।
11. बाकी समय सभी प्रतिष्ठानों के निकट बिजली से चलने वाली ई–रिक्शा उपलब्ध रहेंगी जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रतिष्ठान संयोजक द्वारा बुलाया जा सकेगा।

12. प्रतिष्ठान संयोजक को प्रत्येक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाएगा एवं यह प्रतिष्ठान अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह उसकी सूचना सभी आवश्यक जगहों पर उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को असुविधा न हो।
13. बिजली के वाहनों के लगातार उपलब्ध कराए जाने हेतु चालकों की आवश्यकता होगी अतः जिन–जिन अधिकारियों / डॉक्टरों को वाहन एवं चालक आवंटित किए हुए हैं उनसे सभी चालक वापिस लिए जाएंगे।
14. यदि किसी व्यक्ति को विद्यालय परिसर से बाहर जाना होगा उस हेतु वे हाइब्रिड मोड, सी.एन. जी, डीजल अथवा पैट्रोल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। सुरक्षा विभाग की ओर से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा।
15. जिन अधिकारियों को संस्था की ओर से ड्राइवर एवं वाहन आवंटित हैं, ऐसे सभी अधिकारियों / डॉक्टरों का अधिकार होगा कि, यदि उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाना हो तो वे मुख्य संयोजक को सूचना देकर चालक एवं वाहन को बुलवा लें।
16. जिन लोगों के पास बिजली से चलने वाले वाहन है (जिनकी नंबर प्लेट हरे रंग की है), वे अपने वाहन प्रयोग कर सकेंगे। यह प्रशंसनीय होगा यदि वे अपने वाहन में और लोगों को भी उनके कार्यस्थल ले जाएं।
17. ऐसे कर्मचारी जो स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय परिसर के बाहर से आते है और अपने वाहनो से आते है वे सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 के वाहनो से सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। कार्य समाप्ति पर उस ही वाहन से घर वापिस जा सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में एक बार प्रवेश होने के बाद पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर जैसे उन्हें सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में किसी अन्य दूरी पर स्थित भवन में जाना हो, भोजन अवकाश के समय किसी कैन्टीन इत्यादि पर जाना हो तो वे प्रतिष्ठान संयोजक को सूचित कर ई–रिक्शा (कंथक) या ई–बस (चेतक) का उपयोग किया जायेगा।
18. चिकित्सकीय आपातकाल, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में संबंधित अधिकारी की अनुमति से आवश्यक वाहन उपयोग की अनुमति रहेगी। आपात स्थितियों में सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 के वाहन का उपयोग किया जा सकेगा।
19. सभी कूरियर कम्पनियों (अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकइट आदि) निर्माण विभाग के वाहनों एवं दैनिक आवश्यक सामानों (खाद्य सामग्रीः दूध, सब्जी, ब्रेड आदि) की पूर्तिकर्ताओं को उनके पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 के वाहनो के साथ सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में पूर्ववत प्रवेश की अनुमति होगी।
20. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में निवासित शिक्षण / गैर शिक्षण कर्मचारी जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने और वापिस लाने के लिये जाना पड़ता है, उन्हे निर्दिष्ट सीमित उद्देश्यों के लिये पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 के वाहन प्रयोग करने की अनुमति है।
21. जो व्यक्ति सुभारती विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नौकरी या व्यवसाय करते हैं तथा सुबह जाते हैं और वापस सुभारती विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं उनको भी उनके पैट्रोल, डीजल एवं सी0एन0जी0 के वाहनों से आने–जाने की अनुमति है। परन्तु उनका यह दायित्व होगा कि वे पूर्व ही इस आशय की लिखित सूचना उन द्वारों पर दे दें जहां से वे बाहर जाते हैं। उन व्यक्तियो का अनावश्यक भ्रमण करना प्रतिबन्धित है।
22. यदि किसी निवासीगण से मिलने के लिए उनके कोई सम्बन्धी अथवा मित्र आते हैं तो द्वारपाल ऐसे निवासीगणों से मोबाईल पर अनुमति लेकर उन्हें प्रवेश दे सकेंगे परन्तु उनके आने–जाने की जानकारी रजिस्टर में कर ली जाएगी।
23. सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट पर एक कन्थक (ई–वाहन) आर. ब्लॉक से भामाशाह रोड़ पर मैनेजमेन्ट कॉलिज की ओर चलेगी तथा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तिराहे

से बाएं हाथ चन्द्रशेखर मार्ग पर स्पाईसी कैन्टीन के सामने से होते हुए ठाकुर रौशन सिंह मार्ग पर जाएगी जहां से बिरसा मुंडा ब्लॉक के पास से दाहिने ओर अवन्ती बाई लोधी मार्ग पर मुड़ेगी तथा महाराणा प्रताप ब्लॉक के सामने बाएं हाथ को बंदा सिंह बैरागी मार्ग के लिए मुड़ेगी तथा छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल के सामने से होते हुए सीधे बोम्मू मार्ग पर बाएं हाथ को मुड़ेगी एवं वहां से दुर्गा भगवती कॉम्पलेक्स तक जाएगी। दुर्गा भगवती कॉम्पलेक्स पर 15 मिनट रूककर उसी रास्ते वापिस आएगी।

इस मध्य जहां से जो भी सवारी मिलेगी, उसे वह निःशुल्क ले जाएगी। यह कन्थक विशेष रूप से संस्था के अंदर रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों/डॉक्टरों आदि के लिए है, छात्रों के लिए नहीं है। परन्तु जगह होने पर छात्रों को भी बैठाया जा सकता है।

24. **स्टॉफ बस सर्विस :** विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रहने वाले कर्मचारियों आदि के लिए बस सेवा संचालित की जाती है, जो पूर्ववत चलती रहेगी। लगभग 15 बसें प्रतिदिन सुबह 07:45 – 07:50 पर गेट नं0 4 (पुतलीमाया द्वार) से होते हुए लॉ कॉलिज – फाईन आर्ट्स कॉलिज – इंजीनियरिंग कॉलिज – आर ब्लॉक – महावीर भवन – महर्षि योगी भवन – फिजियोथैरेपी/नैचुरोपैथी/नर्सिंग कॉलिज – गेट नं0 10 – अस्पताल होते हुए बस पार्किंग में जाती है। यह बसें शाम को 4 बजे के लगभग विपरीत दिशा में भी चलती हैं।

    आर. ब्लॉक, महावीर ब्लॉक, श्रद्धानन्द भवन, गुरु नारायण भवन, महर्षि योगी भवन में रहने वाले सम्मानित सुभारती परिवारों के सदस्य इस बस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ सांय 4 बजे भी उठाया जा सकता है।

25. प्रवेश (एडमिशन) के लिए आ रहे अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को एडमिशन सैल तक पहुंचने में पूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस हेतु सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

26. **मुख्य संयोजक श्री चरण सिंह जी हैं जिनका मोबाईल नं0 09045454765 है।**

यह निर्णय लिया गया है कि यह व्यवस्था दिनांक 25 मई 2026 से लागू होती है।

(डॉ0) अतुल कृष्ण
अध्यक्ष